न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-1049/2026
मोहम्मद अमीन बनाम बिहार सरकार
[धनौती थाना कांड संख्या 35/2026]
आदेश

08.06.2026 आवेदक/अभियुक्त **मोहम्मद अमीन पे0 मोहम्मद इब्राहिम मियां** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1049/2026, धनौती थाना कांड संख्या 35/2026, अंतर्गत धारा–318(4), 338, 336(3) भारतीय न्याय संहिता आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विकाश कुमार पाण्डेय एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि पुलिस अधीक्षक महोदय का कार्यालय ज्ञापांक 62/पारपत्र दिनांक 17.02.2026 के माध्यम से प्राप्त आवेदन के द्वारा जांच हेतु सूचक को दिया गया आवेदन जो मो0 आमीन के दो पासपोर्ट निर्गत कराने से संबंधित था, का जांच भौतक रूप से दिवा गश्ती के क्रम में ग्राम पिठौरी जाकर किए तो मो0 अमीन को घर पर उपस्थित नहीं पाया गया उनके पिता द्वारा बताया गया कि मो0 अमीन किसी रिश्तेदारी में गए है। जब सूचक मो0 अमीन के कागजात की मांग उनके पिता से किए तो इब्राहिम मियां ने एक प्लास्टिक के थैले में मो0 अमीन के कागजात सूचक को लाकर दिए जिसमें मो0 अमीन का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का प्रमाण पत्र, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना इंटर का प्रमाण पत्र तथा आयकर विभाग भारत सरकार का स्थाई लेखा संख्या कार्ड BFRPA9498D एवं नोटरी का शपथ पत्र का फोटो कॉपी पुराना पासपोर्ट खो जाने का सनहा की कॉपी तथा आवश्यक कागजात प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन किए तो यह ज्ञात हुआ कि मो0 अमीन द्वारा पासपोर्ट संख्या 6285976 के खो जाने का सनहा संख्या 157/2014 दिनांक 09.01.2014 है। जब इनके आयकर विभाग बिहार सरकार स्थाई लेखा संख्या BFRPA9498D का अवलोकन किए तो पाया कि इनका जन्म तिथि 12.06.1987 अंकित है। इनके द्वारा पुराना पासपोर्ट संख्या 6285976 तथा नया पासपोर्ट संख्या AG878089 निर्गत कराया गया है। इनके डोकोमेंट के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि इनका जन्म तिथि दो–दो दर्शाया गया जिसमें दिनांक 12.06.1987 एवं 12.06.1995 दर्शाया गया है। दोनों जन्म तिथि में लगभग 8 साल का अंतर प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में आती है कि मो0 अमीन द्वारा जालसाजी कर पासपोर्ट शाखा तथा पुलिस को भ्रमित कर चकमा देते हुए गलत ढंग से दो–दो पासपोर्ट निर्गत कराए है। मो0 अमीन के सभी मूल कागजातों को विधिवत जप्त किया। यह कार्य पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को कमजोर करती है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह कहा गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दायर नहीं किया गया है। आवेदक का अतीत साफ है और उसके खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-1049/2026
मोहम्मद अमीन बनाम बिहार सरकार
[धनौती थाना कांड संख्या 35/2026]

08.06.2026

लगातार

मामला पंजीकृत नहीं है। प्रस्तुत मामला आवेदक के विरूद्ध दो पासपोर्ट जारी कराने के संबंध में पंजीकृत कराया गया है। आवेदक ने पहले ही अपना पहला पासपोर्ट पटना के पासपोर्ट कार्यालय में समर्पित कर दिया था। आवेदक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3) के तहत कोई मामला नहीं बनता है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा, बनावटी और मनगढंत है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा गया है कि आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी धनौती थाना कांड संख्या 35/2026, अंतर्गत धारा–318(4), 338, 336(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदक के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदक के विरूद्ध दो भिन्न जन्म तिथियों के साथ दो पासपोर्ट जारी कराने का विशिष्ट आरोप लगाया गया है तथा इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा को धूमिल होने का भी खतरा है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 23 के अनुसार आवेदक के खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदक के विरूद्ध अभी अनुसंधान जारी है। आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **मोहम्मद अमीन** के तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 20.04.2026 को उपरोक्त के आलोक में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 08.06.2026

Date of Order/Judgment	08.06.2026
Date of Reserving Order/Judgment	08.06.2026
Uploading Date	10.06.2026
Uploaded By	RAVI KANT